भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

285362

उत्रृण है तथा वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों से मुक्त एवं रहित है और प्रथम पक्ष विक्रेता को अपनी उपरोक्त भूमि को विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त है। कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त

INDIA NON JUDICIAL

25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5363

भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बन्धक नही किया है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई काश्तकार शिकमी या साझी, बैली व काबिज नही है तथा मौके पर प्रथम पक्ष की काश्त मौजूद

नि साक्षी

25000

INDIA NON JUDICIAL

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

…5364

. 20 .

है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में आज की तिथि तक की कोई कार्यवाही एक्यूजीशन या रिक्यूजीशन आदि की किसी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त भूमि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और

पि० साक्षी

RUPEES 25000   INDIA NON JUDICIAL   RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2?5365

- 21 -

उसके सम्बन्ध में धारा 10 (3) व धारा 10 (5) का कोई आदेश पारित नही हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखो मे कृषि के रूप मे अंकित है। उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन 1,32,09,330/- एक करोड़ बत्तीस लाख नौ हजार तीन सौ तीस रूपये तय है जो अति

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 215366

उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नही है। प्रथम पक्ष अन्य कृषि भूमि क्रय करना चाहते है, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना उचित समझा गया है तथा विक्रय करने से सभी प्रकार से लाभ एवं भलाई दृष्टिगत है। अतः